मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–91/2024

1. श्योप्रकाश
2. देवीलाल

पुत्रगण राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

—— वादीगण

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व. भादरराम जाति जाट निवासी कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. सोनादेवी पुत्री राजेन्द्र कुमार पत्नी भूपसिंह जाति जाट निवासी 2 के. एम. तहसील व जिला अनूपगढ़ राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

—— प्रतिवादीगण

–::वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटी एक्ट ::–

निर्णय

दिनांक :– 23-08-24

वादीगण की ओर से श्री मदन लाल पारीक प्रतिवादीगण 1 व 2 की ओर से श्री संदीप सैन अधिवक्ता इस वाद मे आज दिनांक को **अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार डिक्री किया जाता है–

वादीगण प्रथम पक्ष वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 को चक 22 एस.टी. जी. के वर्तमान खा. सं. 86/77 के प.नंबर 56/314 (74) के किला नंबर 18/1, 19 से 22 व प.न. 56/315 (75) के किला नंबर 1, 2, 9, 10 की 2.0870 हैक्टेयर नाली द्वितीय खातेदारी कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया है। प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 23-08-24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.08.30 10:48:04 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा